


कार्यालय-मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

पत्रांक: १०१ / मु०अ० / वि०प्रा० / २०१७

दिनांक: जून २२, २०१७

कार्यालय ज्ञाप

प्राधिकरण में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वित्त नियन्त्रक, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र सं० ७९/पी०ए०/वि०नि०/वि०प्रा०/२०१७ दिनांक २२.०६.२०१७ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक ०१.०७.२०१७ से जी०एस०टी० लागू होना निश्चित हो जाने के कारण माह जुलाई २०१७ से प्राधिकरण की समस्त निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने वाले समस्त ठेकेदारों को जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा जिसकी प्रति निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।


(आर०एन० सिंह)
मुख्य अभियन्ता